शोध प्रतिवेदन

"आरटीई के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं उनके समायोजन की समस्याओं का अध्ययन"

निर्देशिका
डॉ. शिप्रा गुप्ता
(रीडर)

प्रस्तुतकर्त्री
दीप्ति वर्मा
(एम.एड. छात्रा)

बियानी गर्ल्स बी.एड़ कॉलेज, जयपुर(राजस्थान)
(सत्र 2015-17)

1 प्रस्तावना

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अनेक विषम परिस्थितियों से गुजर रही है। सरकार द्वारा भरसक प्रयासों के बावजूद सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। सर्वशिक्षा अभियान का नारा है **''सब पढ़े सब बढ़े''** इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनेक योजनाएँ संचालित की है जैसे कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, मिड–डे–मिल आदि।

निःसंदेह भारत में शिक्षा का प्रसार हुआ है परन्तु यह भी कटु सत्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास हुआ है। आज भी हमारे देश में 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की बहुत बड़ी संख्या है जो कि शिक्षा से वंचित है। तमाम प्रयास करने के बावजूद भी हम उन्हें स्कूल से जोड़ने में असमर्थ रहे हैं। यह हमारे नीति निर्माताओं शिक्षाविद्वों, अभिभावकों या व्यवस्था की कमी हो। हम बालकों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करने में असफल रहे हैं। यद्यपि संविधानविद्वों द्वारा 6–14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कर दिया गया था परन्तु इनके पीछे बाध्यकारी शक्ति ना

होने के कारण ना तो प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधरा और ना ही हम बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सके और ना ही विद्यालयों से बच्चों को जोड़ सके। उन्नति की दौड़ में तथा आज के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा ही राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला हैं। वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन प्राथमिक शिक्षा ही हैं। यह शिक्षा हमें सुसंस्कृत बनाने का माध्यम हैं। यह हमारी संवेदनशीलता और अनुभव को तेज करती हैं। इससे राष्ट्रीय एकता पनपती हैं, वैज्ञानिक समझ का विकास होता हैं। इसके द्वारा ही आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर स्तर पर जनशक्ति का विकास होता हैं। कुल मिलाकर यह शिक्षा हमारे संविधान द्वारा प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं।

प्राथमिक शिक्षा का महत्व इस बात से भी हैं कि अधिकतर नागरिकों के लिए संपूर्ण शिक्षा इसी स्तर पर ही समाप्त हो जाती हैं। अतः इस नींव को सशक्त बनाना बहुत आवश्यक हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों से स्पष्ट हैं कि छः से चौदह वर्ष के बीच दी जाने वाली शिक्षा व्यक्ति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण हैं।

❖ बाल शिक्षा अधिकार की पृष्ठभूमि

1986 से लेकर अब तक प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बहुत बातें हुई हैं। इधर 10–15 वर्षों में कई बड़ी परियोजनाएँ भी चली हैं। पर एक जीवन्त कक्षा का असली रूप देखा जाना अब भी शेष हैं। सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात तो जैसे अभी हमारे मन में ही हैं। हालांकि देश के अलग–अलग हिस्सों में सही मायने में शिक्षा पर काम हुआ हैं और कुछ शिक्षा शास्त्रीय सिद्धान्तों पर अभ्यास भी किया गया हैं। परन्तु सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में उन अभिनव प्रयोगों की आयु लम्बी नहीं रही हैं। एक दुःखद सच यह भी हैं कि अभी भी एक बहुत बड़े प्रतिशत में बच्चे आठवीं पास करने से पूर्व ही विद्यालय को त्याग देते हैं।

भारत सरकार का दावा है कि देश में छः से चौदह (6 से 14) साल की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 22 करोड़ (बाईस करोड़) के लगभग है और उसमें करीब एक करोड़ ऐसे है जो अपनी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक स्थितियों के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं।

वर्ष 2002 में अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के करीब 9 वर्ष बाद 86वाँ संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21–क सम्मिलित किया गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगी और इसके लिए वे चाहें तो कानून का निर्माण भी कर सकती हैं। इसी क्रम में शिक्षा को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने वाली संवैधानिक व्यवस्था के रूप में ''निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा, अधिकार अधिनियम–2009'' संसद द्वारा पारित किया गया है।

2 समस्या कथन

"आरटीई के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं उनके समायोजन की समस्याओं का अध्ययन''

"A Study of the Status and Problems of Admission Process of Weaker Sections Childrens in the Reference of RTE''

3 समस्या का औचित्य

किसी भी शोधकार्य को करने से पूर्व शोधकर्त्ता को शोध के महत्व पर विचार कर लेना आवश्यक होता है। महत्वहीन या पूर्व में हो चुके अध्ययन पर पुनः शोधकार्य करना केवल शोधकर्त्ता का अल्पज्ञान, व्यर्थ श्रम एवं समय को नष्ट करना ही प्रकट करता है। प्रस्तुत समस्या मुख्य रूप से RTE. के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं प्रवेश प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं से सम्बन्धित है। अतः इस शोध समस्या के अध्ययन से प्रशासकों, अभिभावकों, राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को तो लाभ होगा ही साथ ही साथ विद्यार्थियों तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को भी लाभ होगा।

(1) **अनुसंधानकर्त्ता की दृष्टि से** प्रस्तुत शोधकार्य भावी अनुसंधाकर्त्ताओं के लिए आधार प्रस्तुत करेगा। जिससे भविष्य में इस समस्या के विभिन्न आयामों पर अनेक शोधकार्य किए जा सकेंगे। RTE. से सम्बन्धित शोध कार्यों के लिए आधार प्राप्त हो सकेगा।

(2) **अभिभावकों की दृष्टि से** प्रस्तुत शोधकार्य में प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति व प्रवेश प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया गया। इन

समस्याओं का अध्ययन कर समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) **प्रशासकों की दृष्टि से** निजी विद्यालयों के प्रशासकों को आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया के समय प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत शोध में प्रशासकों की इन समस्याओं का अध्ययन कर समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) **केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की दृष्टि से** प्रस्तुत अध्ययन द्वारा निजी विद्यालयों में RTE. के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति कैसी है और प्रवेश प्रक्रिया में क्या समस्याएँ आती है? उन समस्याओं का अध्ययन कर उनके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत किये जा सकेगें।

(5) **विद्यार्थियों की दृष्टि से** निजी विद्यालयों में प्रवेश की जटिल प्रक्रिया के कारण कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में कई कारणों से बाधा पहुंचती है। जिससे या तो वे शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाते या किसी कारण से बीच में विद्यालय छोड़ देते है। इन समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत किए जा सकेंगे। प्रत्येक शोध समस्या के चयन से पूर्व हमारे मस्तिष्क में कुछ प्रश्न होते हैं। जिनके आधार पर ही हमें समस्या के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रश्न शोध प्रश्न कहलाते हैं। प्रस्तुत समस्या से संलग्न निम्न प्रश्न है जिनको हमने इस शोध का आधार बनाया है।

(i) क्या कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

(ii) क्या कमजोर वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश पाने के बाद विद्यालय में सामान्य बालकों की तरह ही समायोजित हो पाते हैं?

(iii) क्या निजी महाविद्यालय के प्रशासक आर.टी.ई. के तहत कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश देने में रूचि दिखाते हैं?

(iv) क्या निजी विद्यालय के प्रशासक आर.टी.ई. के तहत प्रवेश देने में समस्या महसूस करते हैं?

5 शोध अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए–

(i) शहर में स्थित विद्यालयों में आर.टी.ई. के तहत होने वाले प्रवेश में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं प्रवेश प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

(iii) शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं प्रवेश प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

(iv) आर.टी.ई. के तहत प्रवेश पाने वाले कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन करना।

(v) आर.टी.ई. के तहत प्रवेश पाने वाले कमजोर विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन करना।

6 शोध में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या

(1) शिक्षा का अधिकार कानून

बालकों को शोषण से मुक्ति दिलाने तथा शिक्षा प्रदान करने हेतु संविधान में संशोधन कर बालकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संशोधन के अन्तर्गत एक अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ''निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009'' है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर होगा। इस अधिनियम के 7 अध्यायों में 38 धाराएँ हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत बालक को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है।

(2) **कमजोर वर्ग के बच्चों** प्रस्तुत शोध में कमजोर वर्ग के बच्चों से तात्पर्य ऐसे माता–पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेत है जो निम्न समूह से संबंधित हैं–

(अ) **'असुविधाग्रस्त समूह का बालक'** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक भाषाई, लिंग या ऐसी अन्य बात के कारण जो समुचित सरकार

द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, असुविधाग्रस्त ऐसे अन्य समूह का कोई बालक अभिप्रेत है।

(ब) **'दुर्बल वर्ग का बालक'** ऐसे माता–पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेत है जिनकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम आय सीमा से कम है।

(स) **'विशेष आवश्यकता वाला बालक'** ऐसे बालक से अभिप्रेत है जो विकलांगता/निःशक्तता से ग्रसित है।

(3) **प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति** प्रस्तुत शोध में प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति से तात्पर्य विद्यालयी शिक्षा में असुविधाग्रस्त व दुर्बल वर्ग के बालकों हेतु निजी शिक्षण संस्थाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान तथा निःशुल्क प्रवेश के अन्तर्गत निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा सरकार व अभिभावकों को प्रवेश प्रक्रिया संबंधी जानकारी, सीटों की उपलब्धता आदि की उपयुक्त रूप से वस्तुस्थिति से है

(4) **समस्याएँ** प्रस्तुत शोध में समस्याओं से तात्पर्य अभिभावकों व प्रशासकों को निजी विद्यालयों में RTE के तहत बालकों की प्रवेश प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं तथा बाधाओं से है जो कि ना केवल बालकों के शैक्षिक विकास के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर उनका सर्वांगीण विकास बाधित करती हैं अपितु अभिभावकों को मानसिक कष्ट देने के साथ ही प्रशासकों के नीति के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती हैं।

(5) **समायोजन बोरिंग, लैंग फील्ड तथा वेल्ड (1982 : 511) के अनुसार–** *''समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है।''* **गेट्स व अन्य** (p. 614-615) **के अनुसार–** *''समायोजन निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है।''*

7 शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत अनुसंधान हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया–

(i) ग्रामीण एवं शहरी अभिभावकों का निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।

(i) हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।

(iii) शहरी हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।

(iv) ग्रामीण हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।

8 शोध का न्यादर्श

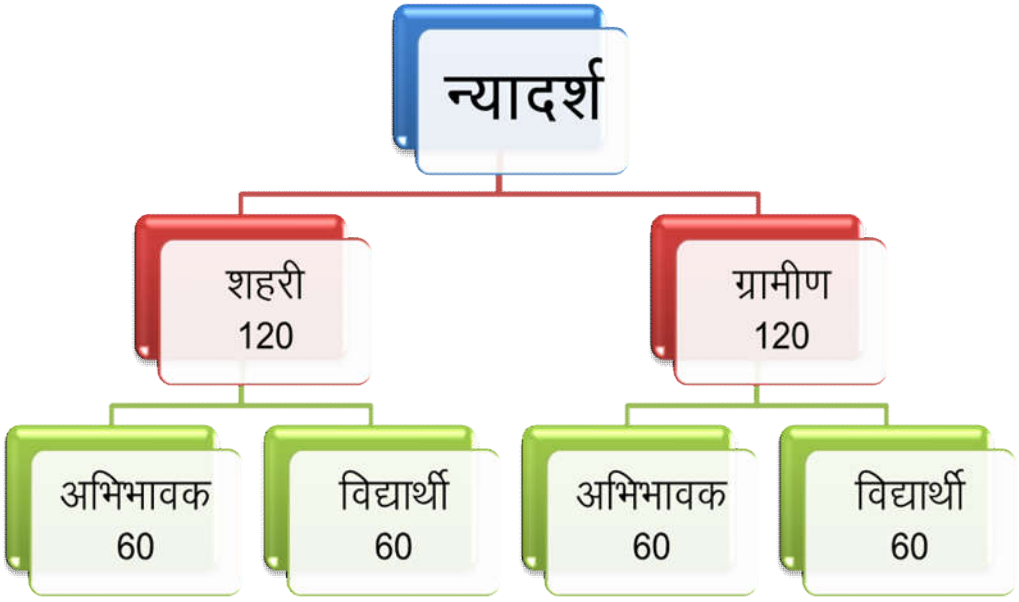

9 अध्ययन विधि

प्रस्तुत समस्या की प्रकृति को देखते हुए ''सर्वेक्षण विधि'' का प्रयोग किया गया।

10 उपकरण

किसी कार्य का निष्कर्ष निकालने के लिए आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं तथा आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किसी न किसी प्रकार के उपकरण का चयन किया जाता है। प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित उपकरण का उपयोग किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु कोई भी मानकीकृत उपकरण उपलब्ध नही होने से शोधार्थी द्वारा प्रशासकों एवं अभिभावकों हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया।

11 सांख्यिकी प्रविधि

प्रस्तुत शोध में निम्न सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया–

(i) मध्यमान

(ii) मानक विचलन

(iii) 'टी' परीक्षण

12 शोध का परिसीमन

किसी भी विशिष्ट समस्या को छोटा रूप प्रदान करने के लिए उसके क्षेत्र का परिसीमन करना बहुत आवश्यक होता है। यदि समस्या सीमित व स्पष्ट होगी तो उसका अध्ययन भी गहनता से किया जा सकेगा। अतः अध्ययन की सुलभता समयाभाव के कारण प्रस्तुत शोध प्रबंध को निम्नलिखित प्रकार से परिसीमित किया गया है–

(i) प्रस्तुत अध्ययन RTE के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समस्याओं के अध्ययन तक ही सीमित है।

(ii) प्रस्तुत अध्ययन जयपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण निजी विद्यालयों तक ही सीमित है।

(iii) प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 2 निजी विद्यालयों तक सीमित है।

(iv) प्रस्तुत अध्ययन 120 अभिभावकों व 120 विद्यार्थियों तक सीमित है।

13 शोध निष्कर्ष

निष्कर्ष अनुसंधान को पूर्णता प्रदान करते हैं। इनके अभाव में शोध कार्य अपूर्ण रहता है। व्यावहारिक विज्ञान में अनुसंधानकर्ता को पूर्णतः सावधान रहना चाहिए कि उसके निष्कर्ष पूर्णतः मौलिक हैं अथवा नहीं, क्योंकि कभी कभी परिणाम कुछ धारणाओं पर भी आधारित होते हैं। ऐसे परिणाम कभी पूर्ण नहीं होते हैं।

अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया में तथ्यों को संक्षिप्त कर निष्कर्षों के लिये अनुमोदित करना अनुसंधान का अंतिम चरण माना जाता है–

परिकल्पना–1 ग्रामीण एवं शहरी अभिभावकों का निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है। परिकल्पना 1 में ग्रामीण एवं शहरी निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति के तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाया गया है। गणना करने पर 'टी' का मान 12.465 है, जो कि 0.05 व 0.01 स्तर पर सारणीमान 1.67, 2.39 से अधिक हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिभावकों के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति में सार्थक अन्तर है।

अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि ''ग्रामीण एवं शहरी अभिभावकों का निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।'', **अस्वीकृत** की जाती है।

परिकल्पना–2 हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में *RTE* के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।

परिकल्पना 2 में हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति के तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाया गया है। गणना करने पर 'टी' का मान 11.401 है, जो कि 0.01 स्तर पर सारणीमान 2.39 से कम हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति में सार्थक अन्तर नहीं है।

अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि *''हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति व समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।''* **अस्वीकृत** की जाती है।

परिकल्पना : 3 शहरी हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।

परिकल्पना 3 में शहरी हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति के तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाया गया है। गणना करने पर 'टी' का मान 9.259 है, जो कि 0.01 स्तर पर सारणीमान 2.76 से अधिक हैं।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिभावकों के अनुसार शहरी हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति में सार्थक अन्तर है।

अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि ''शहरी हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।'', **अस्वीकृत** की जाती है

परिकल्पना–4 ग्रामीण हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।

परिकल्पना 4 में ग्रामीण हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति के तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाया गया है। गणना करने पर 'टी' का मान 9.113 है, जो कि 0.05 व 0.01 स्तर पर सारणीमान 2.05, 2. 76 से अधिक हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति में सार्थक अन्तर है।

अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि *''ग्रामीण हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति में सार्थक अन्तर नहीं है।''*, **अस्वीकृत** की जाती है।

14 सुझाव

RTE के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति में सुधार एवं समस्याओं के निवारण हेतु सुझाव–

(i) निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया के समय शिक्षा विभाग एवं विद्यालय द्वारा अभिभावकों हेतु सहायता केन्द्र स्थापित किए जाए।

(ii) RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति में सुधार लाने हेतु पत्र–पत्रिकाओं एवं जनसंचार माध्यमों के द्वारा अभिभावकों व प्रशासकों में जागरूकता पैदा की जाए।

(iii) RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया के समय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में ''प्रशासन विद्यालय के संग'' जैसे अभियान चलाकर प्रवेश से सम्बन्धित प्रमाण पत्र बनाकर समस्याओं का निवारण किया जा सकता है।

(iv) प्रवेश प्रक्रिया के समय शिक्षा विभाग द्वारा विशेष दस्ते बनाकर प्रशासकों एवं अभिभावकों को प्रवेश से सम्बन्धित सहायता व मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है।

(v) प्रवेश प्रक्रिया के समय विद्यालय प्रशासन द्वारा अनावश्यक प्रमाण पत्रों की मांग न की जाए।

(vi) RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित नियमावलियाँ तथा पत्रावलियाँ विद्यालय प्रशासन को उपलब्ध करवाकर समस्याओं का निवारण किया जा सकता है।

(vii) निजी विद्यालयों को RTE के तहत् दी जाने वाली पुनर्भरण राशि समय पर उपलब्ध करवाकर सकारात्मक पुनर्बलन दिया जा सकता है।

(viii) निजी विद्यालयों में लॉटरी प्रक्रिया के बाद प्रवेश से वंचित बालकों के लिए सरकार द्वारा स्पष्ट नियम बनाए जाए।

(ix) निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें, गणवेश, वाहन सुविधा तथा अन्य सुविधा शुल्कों की स्थिति को सरकार द्वारा नियमावली में स्पष्ट किया जाए।

(x) शिक्षा विभाग द्वारा निजी विद्यालयों को ऐसे साईन बोर्ड उपलब्ध कराए जाए जिन पर लिखा हो ''इस विद्यालय में कमजोर वर्ग के बालकों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित है।''

(xi) RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया में आ रही समस्याओं पर शिक्षा विभाग द्वारा शोधकार्य कराए जाए जिससे समस्याओं का समाधान निकाला जा सकें।

(xii) सरकार ऐसे भामाशाहों को प्रेरित करे जो निजी विद्यालयों में प्रवेशित–कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक मदद दें।

(xiii) प्रवेश प्रक्रिया के समय शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जा सकती है।

(xiv) ईसाई मिशनरीज़, मदरसों तथा अन्य अल्पसंख्यक निजी विद्यालयों में आटीई के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाए।

15 शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोधकार्य के परिणामों व निष्कर्षों के आधार पर जो शैक्षिक निहितार्थ उभरकर आए, वे निम्नानुसार है–

(1) प्रशासकों की दृष्टि से

प्रस्तुत शोध के परिणामों के माध्यम से प्रशासक प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं उसमें आने वाली समस्याओं से अवगत हो सकेंगे ओर प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति में सुधार लाने तथा समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास कर सकेंगे।

(2) अभिभावकों की दृष्टि से

प्रस्तुत शोध के परिणामों के माध्यम से अभिभावक प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं उसमें आने वाली समस्याओं से अवगत हो सकेंगे और प्रवेश प्रक्रिया में सुधार लाने तथा समस्याओं का समाधान निकालने में प्रशासकों को सहयोग कर सकेंगे।

(3) केन्द्र एवं राज्य सरकार की दृष्टि से

इस शोध के परिणामों के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकारें RTE के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं उसमें आने वाली समस्याओं से अवगत हो सकेंगी तथा प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति में सुधार लाने और समस्याओं का निदान करने का प्रयास कर सकेंगी ताकि RTE के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के अभिभावकों तथा प्रशासकों को प्रवेश प्रक्रिया के समय कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़ें।

(4) अनुसंधानकर्ताओं की दृष्टि से

प्रस्तुत शोध समस्या एक नवीन सम्प्रत्य है। प्रस्तुत शोध कार्य अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण साबित होगा। नये अनुसंधानकर्ताओं के लिए यह मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश का कार्य कर सकेगा। आरटीई में नवीन शोध कार्यों को प्रस्तुत शोध द्वारा बढ़ावा मिलेगा।

(5) अनुसंधित्सु की दृष्टि से

प्रस्तुत शोध समस्या एक नवीन सम्प्रत्यय है। प्रस्तुत शोध अनुसन्धानकर्ता के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण साबित होगा। भविष्य में किए जाने वाले शोधकार्य के लिए दिशा–निर्देश का कार्य कर सकेगा।

16 भावी शोध हेतु सुझाव

1. यह अध्ययन राजस्थान के जयपुर जिले को लेकर किया गया है। यह राजस्थान के अन्य जिलों को लेकर भी किया जा सकता है।
2. यह शोधकार्य छोटे न्यादर्श पर किया गया है। समय सीमा अधिक होने पर विस्तृत न्यादर्श पर भी किया जा सकता है।
3. देश के विभिन्न राज्यों से न्यादर्श लेकर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
4. RTE के सन्दर्भ में सरकारी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समस्याओं को लेकर भी अध्ययन किया जा सकता है।
5. निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति के बारे में अभिभावकों के अभिमत का अध्ययन किया जा सकता है।
6. RTE के प्रति अभिभावकों की जागरूकता का अध्ययन किया जा सकता है।
7. RTE के प्रति अभिभावकों, प्रशासकों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है।
8. RTE के प्रति शहरी एवं ग्रामीण अभिभावकों, प्रशासकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
9. RTE के सन्दर्भ में उच्च प्रोफाईल एवं निम्न प्रोफाईल विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया स्थिति एवं समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता।
10. RTE के तहत उच्च प्रोफाईल एवं निम्न प्रोफाईल निजी विद्यालयों मे प्रवेश प्रक्रिया के प्रति अभिधारकों के अभिमत का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
11. RTE के संदर्भ में सेवारत व सेवापूर्व शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन किया जा सकता है।
12. RTE की प्रभावशीलता का भी अध्ययन किया जा सकता है।
13. RTE के विभिन्न प्रावधानों पर अध्ययन किया जा सकता है।

14. ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में RTE की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
15. CBSE व RBSE से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में RTE के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों की प्रवेश की स्थिति एवं समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
16. RTE के प्रति शिक्षा अधिकारियों के अभिमत का अध्ययन किया जा सकता है।
17. RTE के तहत् उच्च प्रोफाईल व निम्न प्रोफाईल विद्यालय के संचालकों का प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति के प्रति अभिमत का अध्ययन किया जा सकता है।
18. RTE के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समस्याओं के प्रति शिक्षाविदों के अभिमत का अध्ययन किया जा सकता है।

17 उपसंहार

प्रस्तुत परिच्छेद में शोध सारांश, शोध से प्राप्त निष्कर्ष, सुझाव, शैक्षिक निहितार्थ एवं भावी शोध हेतु सुझावों पर प्रकाश डाला गया है जो कि एक शोधकार्य का महत्त्वपूर्ण भाग है। आगे संदर्भ ग्रंथ सूची, परिशिष्ट का विवरण दिया गया है।